Policy Regarding Import of Edible Oils

*551. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is at present Government's policy in regard to import of edible oils;

(b) whether any check was exercised over quality of edible oils imported during 1993-94, 1994-95 and till date;

(c) whether certain anomalies have come to the notice of Government in regard to present import policy; and

(d) if so, whether Government have any proposal to modify this policy suitably?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) The import of all edible oils except Coconut Oil, Palm Kernel Oil, RBD Palm Oil and RBD Palm Stearin is allowed under Open General Licence (OGL) with effect from 1.3.1995 at 30 per cent duty. The State Trading Corporation (STC) is importing RBD Palmolein at concessional duty of 20 per cent for the Public Distribution System (PDS). The National Dairy Development Board (NDDB) is also permitted to import selected edible oils for open market sale at concessional duty of 20 per cent.

(b) As per provisions of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, all imported consignments of foods articles including edible oils are checked for ensuring their quailty before the same are released for human consumption. In respect of imports by STC, the quality of oil is. tested by independent surveyors before loading in vessels at the port of origin as well as the discharge port in India by Surveyors and Port Health Officer/Custom Authorities before it is released to States/UTs. for supply under PDS.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

कोयला क्षेत्र के विकास की व्यापक योजना

*552. श्री शंकर दयाल सिंहः क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला क्षेत्र के विकास की कोई व्यापक योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई विदेशी सहायता भी ली जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्र के लिए आठवीं योजना का अनुमोदित परिव्यय 11,357 करोड़ रु० की राशि का है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस क्षेत्र को यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, आस्ट्रेलिया, चीन और विश्व बैंक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

Arbitration Cases Decided by Indian Council of Arbitration

*553. SHRI SURINDER KUMAR SINGLA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) how many cases of arbitration were finally decided by the Indian Council of Arbitration during the last three years;

(b) how much were the fees charged form the parties during this period;

(c) how much is the annual working expenditure of the Council; and

(d) the useful purpose served by the Council?

THE MINISTER STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) The number of cases finally decided by the Indian Council of Arbitration, fee charged from the parties and annual expenditure of the Council during the last three years are as under:

	1992-93	1993-94	1994-95
No. of cases	16	30	25
Fee charged (in Rs. lakhs)	2.13	9.91	8.97
Annual working expenditure (in Rs. lakhs)	16.57	16.94	19.00*

*Unaudited.

Indian Council of Arbitration has been providing an institutionalised mechanism for smooth and quick settlement of international and domestic trade disputes.

वर्ष 1994-95 के दौरान गेहूं और चावल का निर्यात

*554. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान गेहूं और चावल का कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और इससे कितनी आय अर्जित हुई; और

(ख) गेहूं और चावल का निर्यात किन-किन देशों को किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) वर्ष 1994-95 (अप्रैल, 94 - जनवरी, 95) के प्रथम 10 महीनों की उस अवधि के दौरान, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, निर्यातित गेहूं और चावल की कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार रहा—

(मात्रा - मी०टन)
(मूल्य - करोड़ रु०)

वस्तु	मात्रा	मूल्य
(1) गेहूं	42739	74.37
(2) चावल (बासमती)	389497	691.10
(3) चावल (गैर-बासमती)	154175	144.49

(स्रोत: डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० कलकत्ता)

(ख) निर्यात के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता के मासिक बुलेटिनों में दिए गए हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के लिए दिया गया किराया

*555. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत वर्ष के दौरान गोदामों के किराये के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किराये पर लिये गए इन गोदामों का उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के किराये के रूप में वर्ष 1994-95 के दौरान 115.20 करोड़ रुपये वहन